आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्यप्रदेश

आई.ई.सी. ब्यूरो प्रथम तल, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल मध्यप्रदेश

कमांक/एस.एच.ए./ए.बी./2020/127 **भोपाल, दिनांक 18/02/2020**

प्रति,

श्री कमलेश बंजारिया
स्टेट हैंड
सी.एस.सी. ई–गवर्नेस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड म.प्र.
एच.आई.जी. विद्या नगर, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय
होशंगाबाद रोड भोपाल म.प्र.।

विषयः– आयुष्मान भारत "निरामयम्" योजना अन्तर्गत लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनवाने के सम्बन्ध में।

—000—

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 10 फरवरी को समीक्षा की गई जिसमें आप भी उपस्थित थे, विगत माह सितम्बर से आयुष्मान कार्ड बनाने की गति में कमी परिलक्षित हो रही है। वर्तमान स्थिति में लक्ष्य के विरूद्ध केवल 25 प्रतिशत (औसत) आयुष्मान कार्ड ही बन सके हैं, जो कि अत्यन्त निराशाजनक हैं।

आपको निर्देशित किया जाता है कि गोल्डन कार्ड बनाने के कार्य को अभियान के रूप में करते हुए समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार दिनांक 31 मार्च 2020 तक शतप्रतिशत पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की व्यवस्था प्रारम्भ करें। (जिलेवार लक्ष्य व चिकित्सालय की सूची संलग्न है)

गोल्डन कार्ड तैयार करने के उपरान्त, शासन द्वारा निर्धारित शुल्क राशि 30/– प्रति कार्ड का शुल्क हितग्राही से प्राप्त कर सकेंगे।

उपरोक्तानुसार कार्य सम्पादन में यदि कोई समस्या उत्पन्न हो, तो सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर कार्यावाही करना सुनिश्चि करें, कार्य में जिला प्रशासन का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। बैठक में निर्णयानुसार प्रत्येक जिला अस्तपताल/सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सा महाविद्यालय एवं अन्य सार्वजनिक कार्यालयों में दिनांक 15 फरवरी से आगामी आदेश तक आपके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा कियोस्क सेन्टर स्थापित कर उपस्थिति सुनिश्चित करें, जो उपरोक्त स्थानों पर उपलब्ध रहकर गोल्डन कार्ड बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(डॉ. जे. विजयकुमार)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत "निरामयम"मध्यप्रदेश